178

संचिका सं0–मु0अ0–4–विविध–78/05– 1937

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

संकल्प

दिनांक : 21 जून 2006

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 एवं उससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी सड़क सम्पर्क प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति मात्र केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे संसाधनों की मदद से करने में काफी समय लगेगा। सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराये बिना इन ग्रामों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अतः छोटे–छोटे ग्रामों/टोलों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तथा राज्य में आधारभूत संरचना के त्वरित विकास हेतु 500 से 999 तक जनसंख्या वाले (2001 की जनगणना के आधार पर) सभी ग्रामों/टोलों को भी शीघ्र बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा प्राप्त कराने के लक्ष्य को घ्यान में रखते हुए बिहार राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (MMGSY) प्रारम्भ की गयी है। इसके सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्यक् एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु तैयार की गयी मार्गदर्शिका पर राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं :–

1.1 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा प्रदान करने हेतु चयनित ग्रामों/टोलों के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों का चयन किया जाएगा जो पक्की सड़क से जुड़ी न हों। सभी ग्रामों/टोलों को तबतक अनजुड़ा माना जाएगा जबतक उनमें अवस्थित आबादी के निवास या किसी सामुदायिक उपयोग के भवन तक बारहमासी सड़क न पहुँच गयी हो।

1.2 विभाग के द्वारा जिलावार, प्रखंडवार ऐसे ग्रामों की सूची तैयार की जायेगी, जिनकी जनसंख्या 500 से 999 के बीच हो (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) तथा जिन्हें अभी तक बारहमासी सड़क सम्पर्क प्राप्त नहीं है। जिला पदाधिकारी ऐसी प्रखंडवार सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी/अन्य अधिकारी को

उपलब्ध करायेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी/संबंधित अन्य अधिकारी स्थल निरीक्षण के आधार पर सूची में से बारहमासी सम्पर्क सुविधा प्राप्त एवं सम्पर्कविहीन गांवों को अलग–अलग चिन्हित कर इनका विवरण अलग–अलग क्रमशः प्रपत्र "क" एवं प्रपत्र "ख" में जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला पदाधिकारी समीक्षा के उपरान्त संतुष्ट होकर अद्यतन सूचना के साथ उपर्युक्त सूची विभाग को एक माह के भीतर वापस कर देंगे और विभाग इसके आधार पर प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड में अवस्थित 500 से 999 की जनसंख्या के बीच के बारहमासी सम्पर्कविहीन सभी ग्रामों की राज्य स्तरीय समेकित सूची तैयार कर संबंधित जिलों को भेजने की कार्रवाई करेगा। संबंधित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' निम्नवत् है :–

प्रपत्र "क" (बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा प्राप्त ग्रामों का विवरण)

क्र.सं0.	जिला	प्रखंड	गांव	सड़क का नाम	लम्बाई	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	पथ की वर्तमान स्थिति good/ satis-factory /bad	वर्गीकरण NH/SH/ MDR/ODR /VR	स्वामित्व RCD/REO/ ZP/ अन्य	संबंधित ग्रा0अ0सं0 कार्य प्रमंडल का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र "ख" (बारहमासी सड़क सम्पर्कविहीन ग्रामों का विवरण)

क्र.सं0.	जिला	प्रखंड	गांव	सड़क का नाम	लम्बाई	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	जोड़ी जानेवाली बसावटें	पथ की वर्तमान स्थिति	वर्गीकरण	स्वामित्व	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	भूमि उपलब्ध है या अधिग्रहण की आवश्यकता है	संबंधित ग्रा0अ0सं0 कार्य प्रमंडल का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.3 यह सूची सभी संबंधित माननीय विधानमंडल सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जाएगी ताकि वे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इनकी सत्यता के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया/सूचना/जानकारी उपलब्ध करा सकें। सम्पर्क सुविधा प्रदान करने हेतु उपर्युक्त प्रपत्र "ख" में आकलित पथों की प्राथमिकता का निर्धारण जिला स्तरीय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालन समिति से प्राप्त अनुशंसा/प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

1.4 जिला स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नामित एक माननीय मंत्री की अध्यक्षता में जिले के सभी माननीय स0वि0स0, उस जिले में मतदाता के रूप में निबंधित सभी माननीय स0वि0प0 तथा पदाधिकारियों की एक "जिला स्तरीय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालन समिति" (District level MMGSY steering committee) गठित की जायेगी। संबंधित जिला पदाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। जिला परिशद के अध्यक्ष एवं जिला के उप विकास आयुक्त, आरक्षी अधीक्षक तथा जिला योजना पदाधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे। जिला के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रा0अ0सं0 कार्य प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग के कार्य प्रमंडल, जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमंडल, एन0आर0ई0पी0 तथा ग्रामीण विकास विशेश प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तथा जिला परिशद के जिला अभियंता इस समिति के सदस्य होंगे। संचालन समिति के अध्यक्ष (माननीय मंत्री) स्व–विवेक से अधिकतम पांच विशिष्ट महानुभावों को इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे।

यह समिति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्य योजना एवं प्राथमिकता सूची के निर्धारण हेतु जिला में 500 से 999 की जनसंख्या के बीच के बारहमासी सम्पर्कविहीन सभी ग्रामों की प्राथमिकता सूची तैयार करेगी जिसके आधार पर विभाग राशि की उपलब्धता के अनुसार योजनाएं कार्यान्वित करेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्व से ग्रा0अ0सं0 द्वारा तैयार किये गये पथों के कोर नेटवर्क की सहायता से जिला स्तरीय संचालन समिति वैसी सड़कों को चिन्हित कर सकेगी जिनके निर्माण से ज्यादा से ज्यादा ग्रामों और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को लाभान्वित किया जा सके।

यह संचालन समिति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली पथ परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा किया करेगी और अपनी अनुशंसाएं विभाग को भेजेगी।

संचालन समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिला के अंतर्गत कराया जाने वाला कोई भी निर्माण कार्य एक से अधिक योजना के अन्तर्गत नहीं लिया जाये जिससे संसाधनों का समन्वित रूप से उपयोग किया जा सके तथा सरकारी राशि का दुरूपयोग भी न होने पाये।

संचालन समिति का गठन निम्नवत् होगा :–

i.	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नामित माननीय मंत्री	अध्यक्ष
ii	जिले में पड़ने वाले सभी विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय स0वि0स0	सदस्य
iii	जिले में मतदाता के रूप में निबंधित सभी माननीय स0वि0प0 (स्थानीय निकाय, शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित माननीय स0वि0प0 यदि अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी जिला में मतदाता के रूप में निबंधित हों तो वे उस जिला की समिति के सदस्य होंगे। यदि ऐसे माननीय स0वि0प0 चाहें तो अलग से अनुरोध कर उस जिला के स्थान पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जिला की समिति के सदस्य बनाये जाने का अनुरोध कर सकते हैं)	सदस्य
iv	जिला परिषद के अध्यक्ष	सदस्य
v	जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव
vi	उप विकास आयुक्त	सदस्य
vii	आरक्षी अधीक्षक	सदस्य
viii	जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य
ix	जिले में अवस्थित ग्रा0अ0सं0 / प0नि0वि0 / जल संसाधन विभाग / एन0आर0ई0पी0 / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के सभी कार्यपालक अभियंता तथा जिला परिषद् के जिला अभियंता	सदस्य
x	अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम पांच विशिष्ट व्यक्ति (यदि उपर्युक्त क्रमांक ii एवं iii के सदस्यों में अनुसूचित जाति, महिला एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि न हों तो इन श्रेणियों से प्राथमिकता के आधार पर विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किये जायेंगे ताकि जिला स्तरीय संचालन समिति में अनुसूचित जाति, महिला तथा अत्यन्त पिछड़े वर्ग के कम से कम एक–एक सदस्य अवश्य रहें)	विशेष आमंत्रित सदस्य

ऐसे माननीय विधानमंडल सदस्य, जो बिहार विधान परिषद के सभापति / उप सभापति या बिहार विधान सभा के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हों, अपने स्थान पर लिखित रूप से किन्हीं प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु नामित कर सकेंगे। अन्य सदस्यों को स्वयं बैठक में भाग लेना होगा और वे अपने स्थान पर किन्हीं अन्य व्यक्ति को नामित नहीं कर सकेंगे। पदाधिकारियों के संबंध में भी यही नियम लागू रहेगा और वे अपने स्थान पर किन्हीं अन्य पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत नहीं कर सकेंगे।

1.5 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत नए सड़क सम्पर्क का प्रस्ताव करते समय, प्रथमतः तीन आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। जनसंख्या के लिए 500 से 999 तक के लिए अनुपातिक रूप से 50 से 70 अंक दिए जायेंगे (उदाहरणार्थ, 500 की आबादी

वाले गाँव को 50 तथा 999 की आबादी वाले गाँव को 70 अंक दिये जायेंगे)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर 5 से 20 अंक दिए जायेंगे एवं सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पक्की सड़क से दूरी के आधार पर 2 से 10 अंक अनुपातिक रूप से दिए जायेंगे। प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु कुल 100 की अंक तालिका में सभी पथों को उपर्युक्त 3 मानकों के आधार पर निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे :–

(i) अनजुड़े ग्रामों की जनसंख्या – (70 अंक)

सड़क से जोड़ी जा रही बसावटों की जनसंख्या	अंक
1	2
900 – 999	70
800 – 899	65
700 – 799	60
600 – 699	55
500 – 599	50

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति जनसंख्या – (20 अंक)

कुल आबादी में अ0जा0/अ0ज0जा0 का प्रतिशत	अंक
1	2
5% से 30% प्रतिशत तक	5
30% से 50% प्रतिशत तक	10
50% से 75% प्रतिशत तक	15
75% प्रतिशत से अधिक	20

(iii) वर्तमान में पक्की सड़क से अनजुड़े ग्राम की दूरी – (10 अंक)

पक्की सड़क से दूरी	अंक
1	2
4 कि0मी0 से अधिक	10
3 कि0मी0 से 4 कि0मी0	8
2 कि0मी0 से 3 कि0मी0	6
1 कि0मी0 से 2 कि0मी0	4
1 कि0मी0 या इससे कम	2

1.6 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सभी सड़क सम्पर्कों की उपर्युक्त आधार पर प्रखंड और जिला स्तरीय व्यापक नए सड़क सम्पर्क प्राथमिकता सूची बनायी जाएगी और इन्हें सामान्य

प्राथमिकता क्रम में समूहबद्ध किया जायेग [illegible] मापदण्ड के आधार पर 70 अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले सभी ग्रामों को प्राथमिकता सूची में रखा जायेगा और उनके बीच से किन ग्रामों को सर्वप्रथम चयनित किया जाये, इसके लिए एक वरीयता सूची को जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया जायेगा। यह उस वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना भी मानी जायेगी और विभाग इसी कार्य योजना के आधार पर राशि की उपलब्धता को देखते हुए कार्य करायेगा।

1.7 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। पुलों का निर्माण कार्य विभागीय आवश्यकतानुसार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से नामांकन के आधार पर कराया जायेगा।

1.8 इस योजना के अन्तर्गत राज्य बजट से ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

1.9 ग्राम्य अभियंत्रण संगठन इस राशि को Grant-in-aid के रुप में पूर्व से गठित बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (BRRDA) को उपलब्ध करायेगा। BRRDA इसे ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों को उपलब्ध करायेगा और उनके माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन करायेगा।

1.10 इस योजना की राशि के लिए बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (BRRDA) एक अलग बैंक खाता खोलकर राशि को उसमें रखेगी।

1.11 बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (BRRDA) इस राशि की निकासी हेतु आवश्यकतानुसार सभी कार्य प्रमंडलों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर प्राधिकार पत्र निर्गत करेगी जिससे वे इस लेखा से राशि की निकासी कर सकेंगे।

1.12 राशि की उपलब्धता एवं राज्य सरकार द्वारा इसके जिलावार कर्णांकण के अनुसार चयनित पथों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु Outsourcing के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें भी प्राप्त की जा सकेंगी।

1.13 योजना में सड़क निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूमि–अधिग्रहण का भी प्रावधान किया जायेगा, किन्तु जिन पथों के लिए पूर्व से भूमि उपलब्ध होगी उन्हें निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी।

1.14 योजना में कराये जाने वाले निर्माण कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता का विशेष महत्त्व होगा। योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता की जांच के उपरांत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राज्य/जिला स्तर से गुणवत्ता नियंत्रकों की जाँच के प्रावधान भी रखे जाएंगे।

1.15 जिला योजना/रोजगार गारंटी योजना/अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लिये जाने वाले पथ निर्माण कार्यों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्राथमिकता सूची के पथों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अन्तर्गत सभी पंचायतों को इसकी सूची उपलब्ध करायी जाएगी ताकि उनके द्वारा इनमें मिट्टी कार्य एवं ईंट सोलिंग कार्य कराया जा सके तथा इससे आगे का कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि से कराया जाये। परन्तु यदि ऐसा संभव न हो सके तो पथ का पूर्ण निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ही कराया जायेगा।

1.16 चूँकि राशि राज्य बजट से उपलब्ध करायी जाएगी, अतः वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि के अनुसार ही योजनाएं कार्यान्वयन हेतु स्वीकार की जाएंगी। योजना के प्रथम वित्तीय वर्ष 2006–07 में बजट प्रावधान की तिगुनी राशि की योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ताकि अगले वर्ष तक इनमें से अधिकांश योजनाओं को पूर्ण किया जा सके। वर्ष 2007–08 में से बजट उपबंध की दोगुनी राशि की योजनाएं प्रत्येक वर्ष प्रारम्भ की जायेंगी और व्यय को बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

1.17 वर्ष के दौरान् किये गये कार्यों के आलोक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के नवम्बर–दिसम्बर माह में विचार कर अगले वर्ष के लिए प्राथमिकता सूची का निर्धारण किया जाएगा ताकि अगले वर्ष की कार्य योजना उस समय तक तैयार हो जाये। यदि समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता सूची के किसी पथ का कार्य इस योजना अथवा अन्य किसी योजना से सम्पादित होता है तो उस पथ को प्राथमिकता सूची से हटा दिया जायेगा। उस वर्ष ऐसे पथ के स्थान पर अन्य कोई पथ प्राथमिकता सूची में नहीं जोड़ा जायेगा।

1.18 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मात्र एकल सड़क सम्पर्क की व्यवस्था रहेगी। यदि कोई ग्राम पहले ही बारहमासी सड़क के जरिये जुड़ा हुआ है और यदि सम्पर्कता उस ग्राम की आबादी के रहने के स्थान तक पूर्णता के साथ उपलब्ध हो, तो उस ग्राम में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है।

1.19 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई ग्रामीण सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होंगी, जैसा कि ग्रामीण सड़क नियमावली (आई0आर0सी0 एस0पी0–20:2002) में दिया गया है। विशेष स्थिति में राज्य सरकार इससे भिन्न विशिष्टियाँ भी निर्धारित कर सकती है। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.20 इस योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के External Certification के लिए Outsourcing के आधार पर सरकारी, गैर सरकारी अथवा सेवानिवृत तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि की सेवायें प्राप्त की जा सकेंगी। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.21 बारहमासी सम्पर्क सुविधा प्रदान करने हेतु चयनित पथ का इसमें पड़ने वाले पुल/पुलियों के साथ निर्माण किया जाएगा तथा पथ वाले अंश एवं पुल/पुलियों का परियोजना प्रतिवेदन एक साथ तैयार किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.22 चयनित पथ निर्माण योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए Outsourcing के आधार पर व्यावसायिक तकनीकी फर्मों/Consultants की सेवायें प्राप्त की जा सकेंगी। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.23 पथों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर सरकारी/गैर सरकारी/सेवानिवृत्त व्यक्तियों/संस्थाओं का पैनल तैयार किया जाएगा जो नियमित अन्तराल पर पथों के निर्माण कार्य की जाँच करेंगे। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.24 पथों से लिए गए नमूनों की जाँच ग्रा0अ0सं0/प0नि0वि0/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की जाँच प्रयोगशाला के साथ–साथ अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं विभाग के अनुमोदन से अन्य प्रतिष्ठित जाँच प्रयोगशालाओं में भी करायी जा सकेगी। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.25 सभी निर्माण कार्यों के विभिन्न चरणों में वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जाएगी। निर्माण की अवधि में भी कार्य की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जाएगी तथा जाँच प्रतिवेदनों के साथ इन्हें भी संधारित किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.26 पथों के निरीक्षण हेतु ग्रा0अ0सं0 के कार्यपालक अभियंता या उनसे उपर के स्तर के पदाधिकारी भाड़े पर वाहन ले सकेंगे। यदि उनके पास विभागीय वाहन उपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु पेट्रोल/डीजल की वर्तमान निर्धारित 110 लीटर प्रति माह की खपत सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। वित्त विभाग इसके लिए आवश्यक आदेश निर्गत करेगा।

1.27 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् रहेगा :–

(i) प्रथम स्तर–संवेदक/ग्रा0अ0सं0 कार्य प्रमंडल के द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित संख्या में आवश्यक जाँच की जाएगी।

(ii) द्वितीय स्तर– जिला गुणवत्ता समन्वयक (District Quality Monitor- DQM)- इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

(iii) तृतीय स्तर–राज्य गुणवत्ता समन्वयक (State Quality Monitor-SQM)- इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों (उप सचिव स्तर एवं उपर) का राज्य स्तरीय पैनेल तैयार किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.28 प्रत्येक DQM/SQM को राज्य स्तर पर पैनेलीकृत कर विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए परिचय पत्र दिया जायेगा एवं कोड संख्या आवंटित की जायेगी। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.29 प्रत्येक निरीक्षण के लिए DQM/SQM को विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय तथा यात्रा व्यय/अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.30 योजना के क्रियान्वयन में अभियंताओं के साथ–साथ संवेदकों का भी विशेष योगदान होगा। अतः योजना में कार्यान्वयन एजेंसी के अभियंताओं एवं संवेदक/संवेदक के अभियंताओं के प्रबंधन एवं तकनीकी उन्नयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का प्रावधान भी किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन दौरा आदि शामिल होंगे।

1.31 योजना में नयी तकनीक एवं नयी तकनीक के लिए उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया जायेगा।

1.32 उच्चतर एवं विशिष्ट तकनीक एवं प्रबंधन संबंधी सेवाओं के आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करने का का भी प्रावधान किया जायेगा जिसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी।

1.33 प्रत्येक कार्य इकाई के लिये आउटसोर्सिंग के आधार पर लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त की जाएंगी। वे प्रत्येक माह प्रमंडल के अभिलेखों की जांच करेंगे। लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। प्रशासी विभाग समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.34 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (BRRDA) का आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। विशेषकर इसके पदों को प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर भरने की कार्रवाई तत्काल की जायेगी।

1.35 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राज्य बजट की राशि का निवेश होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के पथों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले पथों के वार्षिक रख–रखाव हेतु ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

2. आउटसोर्सिंग के आधार पर गुणवत्ता समन्वयकों/अंकेक्षकों/व्यावसायिक फर्मों/Consultants/विशेशज्ञों आदि का पैनेल गठित करने तथा इन्हें भुगतान की जाने वाली राशि के निर्धारण हेतु विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, आंतरिक वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त योजना विभाग एवं वित्त विभाग के एक–एक प्रतिनिधि, जो उप सचिव से अन्यून स्तर के होंगे, रहेंगे।

3. यदि कंडिका–1 में वर्णित मार्गदर्शिका के प्रावधानों से कार्य के सुचारू क्रियान्वयन में कोई कठिनाई/बाधा उत्पन्न होती है तो इसके प्रावधानों में माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे।

4. उपर्युक्त कंडिकाओं के प्रावधानों की सीमा तक पुनरीक्षित लोक निर्माण संहिता की कंडिका 102, 121, 122, 125, 126, 130, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 168, 170, 172 एवं 175, बिहार वित्त नियमावली की कंडिका 201, 209, 222, 224, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238 एवं 239, बिहार ठीकेदार सूचीकरण नियमावली एवं वित्त विभाग से निर्गत सुसंगत परिपत्र

शिथिल माने जायेंगे। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं बिहार कोषागार संहिता के संबंधित प्रावधान तथा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत आदेश भी उपर्युक्त सीमा तक शिथिल माने जायेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21/6/2006

सरकार के सचिव